



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 475 राँची, मंगलवार,

15 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 सितम्बर, 2026

संख्या-5/आरोप-1-414/2014 का०-5575--श्री मिथिलेश कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-622/03), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-684/ स्था०, दिनांक 08.10.2011 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र 'क' में श्री झा के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1647/गो०, दिनांक 18.08.2011 के द्वारा राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को एक शील्ड स्टील बॉक्स के अन्दर जिला अभिलेखागार में सुरक्षा में रखा गया था। इस शील्ड बक्से में देवघर में किये गये एवं प्रथम दृष्टया प्रतिवेदित भूमि घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखा गया था। अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज रहने के बावजूद भी शील्ड बक्से की सुरक्षा के संबंध में कोई ऐतिहासिक कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई। अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गये शील्ड बक्सा से सभी अभिलेख / पंजियों की चोरी कर लिये जाने के संबंध में आपके द्वारा दी गई सूचना और दर्ज कराये गये प्राथमिकी के

बाद घटना की जाँच अपर समाहर्ता, देवघर की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यी जाँच समिति से कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-1745/गो०, दिनांक 06.09.2011 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। आपके पत्रांक-586/ स्था०, दिनांक 07.09.2011 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि The Bihar Record Manual में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अभिलेखागार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में आप असफल रहे हैं। अभिलेखागार में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त कर्मियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की सूचना रहने के बावजूद भी अपेक्षित और समयानुकूल कार्रवाई नहीं किये जाने को आपकी प्रशासनिक विफलता मानी जा सकती है और शील्ड बक्से से महत्वपूर्ण अभिलेखों / पंजियों की चोरी को इसी प्रशासनिक विफलता से जोड़कर देखना उचित प्रतीत होता है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8036, दिनांक 16.12.2011 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-2121, दिनांक 03.03.2012 द्वारा स्मारित किया गया। श्री झा के पत्रांक-23/कार्य० दण्डा० न्या०, दिनांक 02.04.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-6042, दिनांक-07.05.2012 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-14021, दिनांक 21.12.2012 द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-12/स्था०, दिनांक 07.01.2013 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री झा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

3. उपायुक्त, देवघर से प्राप्त अनुशंसा-सह-मंतव्य प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1492, दिनांक 16.02.2013 द्वारा श्री झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-73, दिनांक 10.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच-प्रतिवेदन का सार निम्नवत् है

(i) जिला अभिलेखागार, देवघर का रख-रखाव The Bihar Record Manual, 1960 के प्रावधानों के अनुकूल तो नहीं हो रहा था, बल्कि अभिलेखागार जैसे महत्वपूर्ण संस्था की सुरक्षा के लिये Common Intelligence का पालन भी नहीं किया जा रहा था।

(ii) हाल में देवघर जिले में भूमि घोटाले उजागर हुए थे और इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एक स्टील बॉक्स में सील बन्द कर हिफाजत के साथ संरक्षित करने के उद्देश्य से जिला अभिलेखागार को विगत अगस्त 2011 को सौंपा गया था। अभिरक्षित बॉक्स में संरक्षित भूमि घोटाले संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची अग्रसारण पत्र में ही सभी संबद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए दे दी गई थी, ताकि इसकी सुरक्षा में कोई चूक न हो। आरोपी पदाधिकारी, जो अभिलेखागार के प्रभारी उप समाहर्ता थे, का कहना है कि उन्हें केवल अग्रसारण पत्र ही दिखलाया गया था, बॉक्स को प्रधान सहायक-सह-रिकार्ड कीपर के हवाले कर दिया गया था,

तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अग्रसारण पत्र के अवलोकन से ही आरोपी पदाधिकारी को अभिरक्षित किये जाने वाले सामग्री के महत्व का अहसास हो जाना चाहिए था।

(iii) आरोपी पदाधिकारी का यह दावा कि जिला अभिलेखागार, देवघर में वर्ष 1995 से प्रतिनियुक्त श्री ज्योतीन्द्र पोद्दार, अनुसेवक की दृष्टिहीनता एवं उनके पुत्र श्री सुनील कुमार का अपने पिता के सहयोग हेतु अभिलेखागार में आने-जाने की परम्परा आरोपी पदाधिकारी के प्रभार के पूर्व के वर्षों से चली आ रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिलेखागार में संरक्षित अभिलेख बहुत पहले से असुरक्षित थे। आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि पूर्व के किसी प्रभारी उप समाहर्ता, जिला अभिलेखागार द्वारा इस तथ्य को उपायुक्त, देवघर के संज्ञान में नहीं लाया गया था पर अन्य पदाधिकारी की चूक से आरोपी पदाधिकारी को कोई Defence नहीं मिलता है।

(iv) आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान से स्पष्ट है कि अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रहने के बावजूद भी शील्ड बक्सा की सुरक्षा के संबंध में कोई सावधानी उनके स्तर से नहीं बरती गई। आरोपी पदाधिकारी ने इसे सामान्य कार्य के रूप में ही हैंडल किया, जो Record Manual के Spirit के विरुद्ध था।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन में निम्नवत् निष्कर्ष अंकित किया गया।

“पूर्ववर्ती कंडिकाओं में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोपों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान और उस पर उपायुक्त एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य की विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं।”

5. श्री झा के विरुद्ध आरोप, उनका बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विषयगत मामले में निर्णय लेने से पूर्व विभागीय पत्रांक-7972, दिनांक 08.08.2014 द्वारा उपायुक्त, देवघर से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया-

(क) अभिलेखागार में रक्षित अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेवारी किसकी है? (ख) श्री झा इसके लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं या अप्रत्यक्ष रूप से? (ग) इसके लिये और किस-किस पदाधिकारी तथा कर्मों को क्या-क्या दण्ड दिया गया है? (घ) यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि अभिलेखागार के वरीय प्रभार में कोई था या नहीं?

6. उक्त के आलोक में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-579/स्था०, दिनांक 13.09.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि-

(क) अभिलेखागार में रक्षित अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेवारी अभिलेखापाल की है। (ख) श्री झा इसके लिये अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। (ग) श्री अमल कुमार बड़ई, तत्कालीन अभिलेखापाल, देवघर को निलंबित किया गया है तथा ये न्यायिक हिरासत में

देवघर, कारा में बंदी हैं। (घ) जिला अभिलेखागार, देवघर के वरीय प्रभार में श्री अजीत शंकर, तत्कालीन अपर समाहर्ता, देवघर थे।

7. उपायुक्त, देवघर से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (4-क) के तहत श्री झा के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए विभागीय पत्रांक-1494, दिनांक 19.02.2015 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई तथा अनुवर्ती पत्रांक-3341, दिनांक 13.04.2015, पत्रांक-4289, दिनांक 13.05.2015 एवं पत्रांक-6769, दिनांक 30.07.2015 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया।

8. श्री झा के पत्रांक-685, दिनांक 24.08.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में विषयगत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि-

(क) आरोपी पदाधिकारी द्वारा Bihar Record Manual के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1647/गो०, दिनांक 18.08.2011 द्वारा राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को एक शिल्ड बॉक्स में जिला अभिलेखागार में रखा गया था, जिसकी सुरक्षा के संबंध में कोई ठोस सावधानी इनके स्तर से नहीं बरती गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसे सामान्य कार्य के रूप में handle किया गया, जबकि Bihar Record Manual में Confidential paper को casualy handle करने की स्पष्ट मनाही है।

(ख) भूमि घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात गायब होने के संबंध में देवघर थाना कांड संख्या-260/11, दिनांक 30.08.2011 में श्री झा को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया तथा इनके विरुद्ध वर्ष 2014 में अभियोजन स्वीकृति भी दी गई।

(ग) अभिलेखागार में श्री ज्योतिन्द्र पोद्दार, अनुसेवक के पुत्र श्री सुनील कुमार का आना जाना था, जिसकी जानकारी आरोपी पदाधिकारी को थी। इसे रोकने के लिए उन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उल्लेखनीय है कि दर्ज कांड में श्री सुनील कुमार के विरुद्ध अभिलेखों को जलाकर नष्ट कर देने का साक्ष्य मिला है।

(घ) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आधार पर उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। अभिलेखागार के प्रभारी के रूप में उनका यह दायित्व था कि इसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करते। देवघर भूमि घोटाला की जाँच CBI द्वारा की जा रही है। इससे संबंधित अभिलेखों को अभिलेखागार से ताला तोड़कर गायब किया जाना आरोपी पदाधिकारी की प्रशासनिक विफलता है। अभिलेखागार का प्रभारी होने के नाते श्री झा दोषमुक्त नहीं हो सकते परन्तु इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कागजातों को गायब कराने में संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। दर्ज आपराधिक कांड में अगर इस तरह का साक्ष्य आता है, तो इस पर अलग से कार्रवाई होगी।

9. मामले के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं0-1890, दिनांक 01.03.2016 द्वारा श्री झा पर निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया गया

(क) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रवर कोटि ग्रेड के पद से मूल कोटि के पद पर पदावनति। इसके फलस्वरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के न्यूनतम प्रक्रम पर इनके वेतन की निकासी की जायेगी।

(ख) पदावनति के फलस्वरूप भविष्य में इन्हें यथाक्रम वेतनवृद्धियाँ मिलती रहेंगी।

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के ज्ञापांक-6051, दिनांक 11.05.1985 के आलोक में उक्त पदावनति की सजा के फलस्वरूप आदेश निर्गत होने की तिथि से इन्हें अगले सात वर्षों तक प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा।

10. दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं0-1890, दिनांक 01.03.2016 को उपायुक्त, लातेहार के ज्ञाप सं0-197/ स्था०, दिनांक 11.03.2016 द्वारा श्री झा को प्रेषित की गई।

11. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री झा द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 1223/2017- मिथिलेश कुमार झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"8. After going through the aforesaid judgments, this Court is having no hesitation in holding that the oral witness is necessary to prove the documents and the charges levelled against the delinquent employee, which is absent in the instant case.

9. Accordingly, for the sole reason of non-examination of oral witness by the department; the order of penalty vide Memo No. 197/Stha. dated 11.03.2016, is hereby, quashed and set aside.

10. It has been informed during the course of hearing that the petitioner herein had already retired on 31.3.2023; accordingly, the Respondents are directed to calculate the monetary benefits which will accrue, inasmuch as, impugned order of reversion dated 11.3.2016 has already been quashed in the preceding paragraph and pay the entire monetary benefits within a period of 16 weeks.

11. Accordingly, the writ petition is allowed in the aforesaid manner."

12. W.P.(S) No. 1223/2017- मिथिलेश कुमार झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर

से LPA (Filing) No. 4719/2026 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मिथिलेश कुमार झा दायर की गई है, जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

13. W.P.(S) No. 1223/2017-मिथिलेश कुमार झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में Cont. Case (C) No. 699 of 2026-मिथिलेश कुमार झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 11.09.2026 निर्धारित है।

14. अतः मामले के सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(क) W.P.(S) No. 1223/2017- मिथिलेश कुमार झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-622/03), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर, सम्प्रति सेवानिवृत्त के किर्द्ध विभागीय संकल्प सं०-1890, दिनांक 01.03.2016 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विलोपित किया जाता है।

(ख) उक्त विलोपन माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA (Filing) No. 4719/2026 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मिथिलेश कुमार झा के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मिथिलेश कुमार झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
